अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

कोटेशन आमंत्रण सूचना

संख्या – 332 दिनांक – 26/06/23

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, महेन्द्रू, पटना के पत्रांक–C/07-T/E-2023/**331** दिनांक–26.06.2023 के निदेशानुसर समग्र शिक्षा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों का पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक–04 जुलाई 2023 से अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर में संचालित किया जाना है। यह प्रशिक्षण कई चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण चरण में लगभग 100–110 प्रशिक्षु शिक्षक भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः आवसीय होगा। उक्त संचालित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जानी है। भोजनादि एवं आवासन की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए जेनरेटर, कुर्सी, टेबुल, पंखा सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक एजेन्सी से निम्नांकित दर एवं शर्त्त के आधार पर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :–

1. **भोजनादि व्यवस्था के लिए :**

I. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, महेन्द्रू, पटना के ज्ञापांकः 1212 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा भोजन हेतु 270/– (GST रहित) अधिकतम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर से निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित दर के अतिरिक्त नियमानुसार GST देय होगा।

II. भोजन की व्यवस्था करने वाले एजेन्सी/संचालक को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन के साथ दो बार चाय और बिस्कुट देना अनिवार्य होगा। भोजनादि की व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था संचालक के द्वारा करना अनिवार्य है।

III. कोटेशन दाता अपने कोटेशन के साथ Breakfast, Lunch, Dinner एवं चाय, बिस्कुट इत्यादि का 06 दिनों का मेनू आईटमवार संलग्न विहित **'प्रपत्र–A'** में उपलब्ध करायेंगे। गुणवत्ता एवं उत्तम Menu देने वाले एजेन्सी का चयन किया जाएगा।

IV. भोजन की व्यवस्था देने वाले एजेन्सी/संचालक को भोजन के उपयोग में आने वाले सभी सामग्री का क्रय यथा, बर्तन, भोजन सामग्री इत्यादि का वहन स्वयं करना होगा।

V. भोजन व्यवस्था के संचालक को भोजन एवं भोजन निर्माण स्थल पर साफ–सफाई की व्यवस्था स्वयं करानी होगी एवं इसका अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

VI. भोजन व्यवस्था हेतु चयनित संचालक को प्रतिभागियों के साथ उत्तम व्यवहार/बर्ताव करना अनिवार्य होगा। जो भी निर्मित खाद्य सामग्री की माँग की जाएगी उसे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. **आवासन व्यवस्था के लिए :**

I. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, महेन्द्रू, पटना के ज्ञापांकः 1212 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा आवासन व्यवस्था हेतु Rs. 100/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर से निर्धारित है। आवासन व्यवस्था हेतु इच्छुक एजेन्सी को सभी आवश्यक सामग्री यथा चौकी/बेड, बेडशीट, गद्दा, तकिया, दरी, मच्छरदानी, पंखा इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। निर्धारित दर के अतिरिक्त नियमानुसार GST देय होगा।

II. आवासीय व्यवस्था हेतु दिये जाने वाले सभी सामग्री यथा तकिया, गद्दा, बेडशीट इत्यादि बदलकर स्वच्छ एवं साफ–सुथरा होना अनिवार्य है।

III. सभी सफाई योग्य सामग्रियों का प्रत्येक चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व साफ–सुथरा सामग्री का उपलब्ध कराना एवं साफ–सफाई कराना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई सामग्री गन्दा हो जाता है तो तुरन्त धुला हुआ साफ सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

IV. आवासीय व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री के आइटम की महत्तम संख्या एवं सभी आईटम का अलग–अलग दर की कुल राशि 100/– तक होगा, के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जाएगा।

V. कोटेशन दाता संलग्न विहित **'प्रपत्र–B'** में आवासन हेतु सामग्रियों का विवरण उपलब्ध करायेंगे।

3. <u>प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए जेनरेटर, कुर्सी, टेबुल, पंखा इत्यादि हेतु :</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यकतानुसार एक या दो जेनरेटर भाड़ा पर लिया जा सकता है। जेनरेटर डीजल रहित एवं मानव संसाधन सहित उपलब्ध कराना होगा और जेनरेटर का दर GST सहित होगा। इसके अतिरिक्त 60 Table, 160 कुर्सी और 16 पंखे की आवश्यकता है। इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है। टेबल, कुर्सी एवं पंखे का दर GST सहित होगा। कोटेशन दाता को प्रतिदिन/प्रति कुर्सी/प्रति टेबुल/प्रति पंखा का दर कोटेशन के साथ अंकित करना अनिवार्य है। कोटेशन दाता संलग्न विहित **'प्रपत्र–C'** में प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए सामग्रियों का विवरण उपलब्ध करायेंगे। सामग्रियों का दर GST सहित होगा।

<u>कोटेशन दाता हेतु आवश्यक निर्देश :–</u>

I. एजेन्सी के संचालक के पास GST, PAN No. एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है।

II. कोटेशन दाता को ITR देना अनिवार्य है।

III. फूड लाईसेन्स वाले एजेन्सी को भोजनादि व्यवस्था हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

IV. उपर्युक्त कंडिका संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए अलग–अलग कोटेशन सिलबंद लिफाफे में दिनांक– 30.06.2023 को अपराह्न 02 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।

V. कोटेशनदाता एजेन्सी को सूचित किया जाता है कि अपना कोटेशन पर **प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर** के पता अंकित करते हुए दिनांक–30.06.2023 के अपराह्न 02 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

VI. कोटेशन दाता/एजेंसी संचालक का चयन होने के उपरान्त कार्यादेश दिया जाएगा। कार्यादेश उसी शर्त्त पर दिया जायेगा जब इस आशय का शपथ पत्र देगें कि कोटेशन में निर्धारित दर एवं शर्त्त से सहमत हूँ एवं भोजनादि, आवासन की गुणवत्ता/प्रशिक्षण हॉल एवं मेस में कुर्सी, टेबुल की व्यवस्था इत्यादि में कमी पाये जाने पर संस्थान द्वारा यदि मेरे कार्यादेश को निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोटेशन आमंत्रण सूचना को निरस्त करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

VII. चयनित एजेन्सी को प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के उपस्थिति की वास्तविक संख्या के आधार पर भोजनादि एवं आवासन राशि का भुगतान किया जायेगा।

26/6/2023

प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्तीपुर।

26/6/23

भोजनादि व्यवस्था के अन्तर्गत सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय बिस्कुट आदि एवं रात का भोजन हेतु प्रत्येक दिन का Menu

प्रपत्र –A

दिन	सुबह का नाश्ता	चाय बिस्कुट आदि	दोपहर का भोजन	चाय बिस्कुट आदि	रात का भोजन
प्रशिक्षण के पूर्व संध्या	——	——	——	——	
पहला दिन					
दूसरा दिन					
तीसरा दिन					
चौथा दिन					
पाँचवा दिन					——

आवासन हेतु सामग्री का विवरण

प्रपत्र – B

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	कोटेशन दाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री की सहमति	दर GST रहित	GST दर	दर GST सहित
1.	चौकी / बेड				
2.	गद्दा / डनलप गद्दा				
3.	बेडशीट				
4.	तकिया				
5.	दरी				
6.	मच्छरदानी				
7.	पंखा				
		कुल राशि			

जेनरेटर/प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए कुर्सी, टेबुल, पंखा हेतु :

प्रपत्र – C

क्र0सं0	सामग्री	GST रहित दर	GST	GST सहित दर
1.	कुर्सी			
2.	टेबुल			
3.	पंखा			
4.	जेनरेटर			
	कुल राशि			